STATUTES AND RULES RELATING TO THE PRESIDENT'S POLICE MEDAL AND THE POLICE MEDAL

The following is a reprint of Notification Nos. 3-Pres and 4-Pres, dated 1st March, 1951 as amended upto the 28th July, 2006.

PRESIDENT'S SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1951

No. 3-Pres- The President is pleased to institute the following awards to be conferred on members of Police Forces, Central Police/Security Organizations throughout the Indian Union in consideration of the meritorious service or gallantry and outstanding devotion to duty to be designated 'President's Police Medal' and 'Police Medal' respectively and to make ordain and establish the following statues governing them which shall be deemed to have effect from the twenty sixth day of January in the year one thousand nine hundred and fifty.

PRESIDENT'S POLICE MEDAL:

Firstly: The award shall be in the form of a medal and styled and designated the PRESIDENT'S POLICE MEDAL and (hereinafter referred to as the Medal).

* Secondly: The Medal shall be circular in shape, made of silver gold gilt, one and three eighth inches in diameter, and shall have embossed on the obverse the design of a heraldic Star in the Centre and shall have engraved on the upper edge, the words "jk"Vifr dk ifyl ind" and the words "President's Police Medal – INDIA inscribed on the lower edge thereof. Hindi and English inscription shall be separated by a small Star appearing on either side. On the reverse, it shall have embossed the State Emblem in the centre and words "chjrk d fy," or "fof'k"V lok d fy," and the words " For Gallantry" or " For Distinguished Service" on the upper and lower edge respectively. The words "lR;eo t;r" shall be embossed below the State Emblem. The State Emblem and the writings around it, shall be encircled by a wreath. On the rim, the name of the person to whom the medal has been awarded, shall be inscribed.

Thirdly: The Medal shall only be awarded to those who have either performed acts of exceptional courage and skill or exhibited conspicuous devotion to duty as members of police forces and Central Police/Security Organizations within the territory of India.

Fourthly: The names of those to whom this medal may be awarded may be published in the Gazette of India and a Register of such names may be kept in the Ministry of Home Affairs by such person as the President may direct.

Fifthly: Each Medal shall be suspended from the left breast and the riband, of an inch and three eighth in width, shall, in the case of distinguished service, be half blue and half silver white, and in the case of awards for acts of exceptional courage and gallantry the riband will be half blue and half silver white, the two colours being separated by a vertical red line 1/8” in width.

Sixthly: Any act of gallantry which is worthy of recognition by the award of PRESIDENT’S POLICE MEDAL but is performed by one upon which the Decoration has already been conferred, may be recorded by a Bar attached to the riband by which the medal is suspended. For every such additional act an additional Bar may be added and for each Bar awarded a small silver rose with gold gilt shall be added to the riband when worn alone.

Seventhly: It shall be competent for the President to cancel and annul the award to any person of the above Decoration and that there upon his name in the Register shall be erased. It shall, however, be competent for the President to restore any Decoration, which may have been so forfeited. Every person to whom the said decoration is awarded shall, before receiving the same, enter into an agreement, to return the medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India.

Eighthly: It shall be competent for the President to make rules to carry out the purpose of these statutes.

<u>POLICE MEDAL:</u>

Firstly: The award shall be in the form of a medal and styled and designated the POLICE MEDAL (hereinafter referred to as the MEDAL).

*Secondly : The Medal shall be circular in shape made of bronze, one and three eighth inches in diameter and shall have embossed on the obverse the State Emblem in the Centre and the words “lR;eso t;rs” inscribed thereunder. The words “iqfyl ind” and “Police Medal” shall appear on the upper edge and lower edge respectively.

Hindi and English inscriptions shall be separated by a small Star appearing on either side. On the reverse, it shall have embossed the words "Hkkjrh; iqfyl" and the "Indian Police" on the upper and lower sides respectively. These inscriptions shall be separated by two parallel horizontal straight lines wherein the words "ohjrk ds fy," and " For Gallantry" or " ljkguh; lsok ds fy," and " For Meritorious Service" shall be inscribed. This will be semi-circled by wreaths on either side of these lines. On the rim the name of the person to whom the medal has been awarded, shall be inscribed".

Thirdly: The Medal shall be awarded to only those members of a recognized police force or Central Police Security Organization within the territory of India, who have performed service of conspicuous merit and gallantry.

Fourthly: The names of those to whom this medal may be awarded may be published in the Gazette of India and a Register of such names shall be kept in the Ministry of Home Affairs by such a person as the President may direct.

Fifthly: Each medal shall be suspended from the left breast, and the riband of an inch and three eighth in width shall be dark blue with a narrow silver stripe on the either side and a rison stripe in the centre, and in the case of awards for acts of conspicuous gallantry each of the blue portions of the riband shall contain a silver line down the middle.

Sixthly: Any distinguished conduct or act of gallantry which is worthy of recognition by the award of the POLICE MEDAL but is performed by one upon whom the decoration has already been conferred may be recorded by a Bar attached to the riband by which the medal is suspended. For every such additional act an additional Bar may be added and for each Bar awarded a small silver rose shall be added to the riband when worn alone.

Seventhly: It shall be competent for the President to cancel and annul the award to any person of the above medal and that thereupon his name in the Register shall be erased. It shall, however, be competent for the President to restore any Medal which may have been so forfeited. Every person to whom the said decoration is awarded shall before receiving the same, enter into an agreement to return the medal if his name is erased as aforesaid. Notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India.

Eighthly: It shall be competent for the President to make rules to carry out the purpose of these statutes.

Sd/-xx
Shavax A. Lal
Secretary

* Substituted vide President's Sectt. Notification No. 88-Pres/98 dated the 20th July, 1998.

PRESIDENT'S SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1951.

No. 4-Pres-In accordance with the Statute 'eighthly' of the statutes relating to the award of the President's Police Medal and the Police Medal, the following rules governing them are notified.

P R E S I D E N T'S P O L I C E M E D A L

1. Recommendations for award on the ground of conspicuous gallantry shall be made as soon as possible after the occasion of which the conspicuous gallantry was shown and in special circumstances recommendations for awards on other grounds may be made at any time for an immediate award.

2. All the recommendations shall state the name and rank of the person recommended, the name of the Police Force, or the Unit of the Central Police/Security Organizations of which he is or was a Member and particulars of the gallantry of service for which the grant of the medal is recommended.

3. The number of medals awarded for Distinguished Service in any one year shall not exceed 140. * There will be no limit on the number of medals to be awarded for gallantry in any one year.

4. The medal shall be awarded:

(i) For conspicuous gallantry in saving life and property, or in preventing crime or arresting criminals, the risks incurred being estimated with due regard to the obligations and duties of the officer concerned.

(ii) A special distinguished record in police service or in the Central Police/Security Organizations.

(iii) Success in organizing Police Service or the Units of Central Police/Security Organization or in maintaining their organizations under special difficulties.

(iv) Special Service in dealing with serious or wide spread out breaks of crime or public disorder.

*Substituted vide President Sectt.'s Notification No. 81-Pres/2006 dated 28th July, 2006.

(v) Prolonged service, but only when distinguished by very exceptional ability and merit.

5. When awarded for gallantly the medal shall carry a monetary allowance at the rates and subject to the conditions set forth below. The charges thereof shall be borne by the revenues of the State/Union Territories concerned in respect of recipients belonging to the State/Union Territories and by the respective Central Police/Security Organizations in respect of Officers belonging to these organizations.

(a) Where an officer, who has already been awarded either the King's Police and Fire Service Medal or that Medal and a Bar, or Bar thereto for gallantry, is subsequently awarded the President's Police Medal for a further act of gallantry, he shall be paid a monetary allowance attached to the latter Medal in addition to the original allowance and not the full allowance attached to the Medal itself. Where an officer who has already been awarded the Indian Police Medal for Gallantry is subsequently awarded the President's Police Medal for a further act of gallantry, he shall be paid the full allowance attached to the latter Medal in addition to the original allowance.

(b) The allowance shall be granted from the date of the act for which the award is given and unless, it is forfeited for misconduct, shall continue until death.

(c) Where a recipient is in receipt of the allowance at the time of his death, it shall be continued for life or till re-marriage of his widow (the first married wife having the preferences), in the case of posthumous award of the Medal or a Bar, the allowance shall be paid, from the date of the act for which the award is made, to the widow (the first married wife having preference) for her life or till re-marriage.

(d) When the award is made posthumously to a bachelor the monetary allowance shall be paid to his father or mother and in case the posthumous awardee is widower, the allowance shall be paid to his sons below 18 years or unmarried daughter, as the case may be.

(e) All the recipients of this gallantry award shall be entitled to the monetary allowance on the uniform rate, irrespective of their ranks. The rate of Monetary Allowance * for the Medal as also for the Bar to the Medal shall be ** as may be fixed by the Central Govt. from time to time.

* Refixed at Rs. 200/- P.M. with effect from 1.8.1997 vide President Sectt. Notification No. 101-Pres/98 dated 18.8.1998 and enhanced to Rs. 750/- with effect from 6.12.1999 vide MHA OM No. 11026/10/98-PMA dated 6.12.1999 respectively.

** Substituted vide President Sectt. Notification No. 101-Pres/98 dated 18.8.98.

6. The Medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty, cowardice in action or such conduct as in the opinion of the President, brings the force into disrepute.

7. Recommendations for the announcement of awards for distinguished service on the 26th January (Republic Day) and the 15th August (Independence Day) should be forwarded so as to reach the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, not later than the 26th October, and the 15th May, respectively each year.

POLICE MEDAL

1. Recommendations for awards on the ground of conspicuous gallantry shall be made as soon as possible after the occasion of which the conspicuous gallantry was shown and in special circumstances recommendations for awards on other grounds may be made at any time for an immediate award.

2. Each recommendations shall state the name and rank of the person recommended, the name of the Police Force or the Unit of the Central Police/Security Organizations of which he is or was a Member and particulars of the action or service for which the grant of the medal is recommended.

3. The number of medals awarded for meritorious service in any one year shall not exceed 1035**. There will be no limit on the number of medals to be awarded for gallantry in any one year.

4. The Medal will be awarded:

   (i) For conspicuous gallantry. Awards for gallantry will be made as soon as possible after the event occasioning the grant.
   (ii) For valuable services characterized by resource and devotion to duty including prolonged service or ability and merit.

5. (a) When awarded for gallantry the medal as also the Bar to the Medal shall, subject to the conditions set forth for President's Police Medal for Gallantry, carry a monetary allowance # on a uniform rate **as may be fixed by the Central Govt. from time to time irrespective of the rank of the recipient. ##** The charges thereof, shall be borne by the revenues of the State/Union Territories concerned in respect of recipients belonging to the State/Union Territories and by the concerned Central Police/Security Organizations in respect of the recipient belonging to these organizations.

** Substituted vide President Sectt. Notification No. 99-Pres/90 dated 17.12.1990. Fixed' at 175 in 1951 and thereafter re-fixed at 200, 275, 400, 475, 500, 650, 740 and 860 in 1963, 1966, 1971, 1979, 1984, 1988, 1990 and 2001 respectively. Amended vide President's Sectt. Notification No. 81-Pres/2006 dated 28th July, 2006 with effect from the 28th July, 2006. Refixing the number as 1035.

(b) Where an officer who has already been awarded either the Indian Police Medal or that Medal and Bar or Bars thereto for gallantry is subsequently awarded the Police Medal for a further act of gallantry, he shall be paid a monetary allowance attached to the latter Medal in addition to the original allowance and not the full allowance attached to the Medal itself. Where an officer who has already been awarded the King's Police and Fire Services Medal for Gallantry is subsequently awarded the Police Medal for a further act of gallantry he shall be paid the full allowance attached to the latter Medal in addition to the original allowance.

6. The Medal for gallantry shall be worn next to and immediately after the PRESIDENT'S POLICE AND FIRE SERVICE MEDAL/President's Police Medal for Distinguished Service.

7. The award of the Medal will not be a Bar to the subsequent award of the PRESIDENT'S POLICE MEDAL.

8. The Medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty, cowardice in action or such conduct as in the opinion of the President brings the force into disrepute.

9. Recommendations for the announcement of awards for meritorious service on the 26th January (Republic Day) and the 15th August (Independence Day) should be forwarded so as to reach the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, not later than the 26th October, and the 15th May, respectively each year.

Sd/-
(SHAVAX A.LAL)
SECRETARY

Refixed at Rs. 120/- P.M. with effect from 1.8.1997 vide President Sectt. Notification No. 101-Pers/98 dated 18.8.1998 and enhanced to Rs. 450/- with effect from 6.12.1999 vide MHA OM No. 11026/10/98-PMA dated 6.12.1999 respectively.

Substituted vide President Sectt. Notification No. 101-Pers/98 dated 18/8/98.

<u>अनुलग्नक-‘क’</u>

राष्ट्रपति का पुलिस पदक और पुलिस पदक से संबंधित संविधियां और नियम

.

दिनांक 28 जुलाई, 2006 तक यथा संशोधित 1 मार्च, 1951 की अधिसूचना सं. 3-प्रेज और 4-प्रेज का पुन: मुद्रण निम्नवत है।

<u>राष्ट्रपति सचिवालय</u>
<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च, 1951

सं.3-प्रेज-राष्ट्रपति, सराहनीय सेवा या बहादुरी और उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में पूरे भारत संघ के पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों के सदस्यों को क्रमश: ‘राष्ट्रपति का पुलिस पदक’ और ‘पुलिस पदक’ नामक पदक प्रदान किए जाने के लिए निम्नलिखित पुरस्कार सहर्ष स्थापित करते हैं और उन्हें शासित करने के लिए निम्नलिखित निश्चित और स्थापित संविधियां बनाते हैं जो वर्ष एक हजार नौ सौ पचास के जनवरी माह के छब्बीसवें दिन से प्रवृत्त होंगे।

<u>राष्ट्रपति का पुलिस पदक:</u>

प्रथमत: यह पुरस्कार, पदक के रूप में होगा और इसका आकार और नाम **राष्ट्रपति का पुलिस पदक** होगा (इसमें इसके बाद इसका उल्लेख पदक के रूप में होगा।)

*दूसरे: पदक का आकार गोलाकार होगा, चांदी के स्वर्ण गिल्ट से बना होगा, इसका व्यास एक सही तीन बटे आठ इंच होगा और केन्द्र में अग्रभाग पर अग्रदूत स्टार का डिजाइन उत्कीर्ण होगा तथा ऊपरी किनारे पर “राष्ट्रपति का पुलिस पदक” शब्द और इसके निचले किनारे पर “President Police Medal-India” शब्द उत्कीर्ण होंगे। हिन्दी और अंग्रेजी के शब्दों को दोनों ओर एक छोटे तारे को उत्कीर्ण करके पृथक किया जाएगा। इसके दूसरी ओर केन्द्र में देश का संप्रतीक उत्कीर्ण होगा और ऊपरी तथा नीचे के किनारों पर क्रमश: “वीरता के लिए” या “विशिष्ट सेवा के लिए” और “For Gallantry” या “For Distinguished Service” शब्दा उत्कीर्ण किए होंगे। देश के संप्रतीक के नीचे ”सत्यमेव जयते” शब्द उत्कीर्ण किए होंगे। देश के संप्रतीक और इसके चारों ओर के शब्द फूलों की माला से घिरे होंगे। रिम पर उस व्यक्ति का नाम खुदा होगा जिसे पदक प्रदान किया गया है।

तीसरे: पदक केवल उन्हें प्रदान किया जाएगा जिन्होंने भारत के भूभाग के अंदर पुलिस बलों और केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों के सदस्य के रूप में असाधारण साहस और कौशल के कृत्य किए हैं या अनुकरणीय कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है।

चौथे: जिन्हें यह पदक प्रदान किया जाएगा उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और गृह मंत्रालय में ऐसे नामों का रजिस्टर ऐसे व्यक्ति द्वारा रखा जाएगा जिसे राष्ट्रपति निदेश दें।

पांचवें: विशिष्ट सेवा के मामले में प्रत्येक पदक अग्रभाग से प्रलंबित होगा और इस पर एक सही तीन बटे आठ इंच चौड़ी पट्टी होगी जो आधी नीली और आधी चांदी के रंग की सफेद पट्टी होगी तथा अनुकरणीय साहस और बहादुरी के कृत्यों के पुरस्कारों के मामले में पट्टी आधी नीली और आधी चांदी के रंग की सफेद पट्टी होगी और वे दो रंग के "चौड़ी उर्ध्वाकार 1/8" की लाल रेखा से पृथक किए जाएंगे।"

छठे: बहादुरी का ऐसा कृत्य जिसे राष्ट्रपति के पुलिस पदक का पुरस्कार दे कर मान्यता दिए जाने के योग्य पाया जाता हो लेकिन जिस के लिए अलंकरण उस व्यक्ति को पहले ही प्रदान कर दिया गया जिसाने वह किया है तो उसे उस पट्टी के साथ एक बार जोड़ कर रिकार्ड किया जाएगा जिससे पदक प्रलंवित है। ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त कृत्य के लिए एक अतिरिक्त बार जोड़ी जाएंगी और प्रदान किए गए प्रत्येक बार के लिए सोने की चमक वाला एक छोटा चांदी का गुलाब पट्टी से जोड़ा जाएगा जब इसे अकेला पहना जाए।

सातवें: राष्ट्रपति, उक्त अलंकरण के संबंध में किसी व्यक्ति को दिए गए पुरस्कार को रद्द करने और विलोपन करने के लिए सक्षम हैं और ऐसा करने पर उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तथापि, राष्ट्रपति, जब्त किए गए ऐसे अलंकण को बहाल करने के लिए सक्षम हैं। जिस व्यक्ति को यह अलंकरण प्रदान किया गया है वह इसे प्राप्त करने से पहले इस आशय के करार पर हस्ताक्षर करेगा कि यदि उसका नाम हटा दिया जाता है तो वह पदक वापस कर देगा। प्रत्येक मामले में पदक रद्द करने या बहाल करने का नोटिस भारत के राजपत्र में प्राकशित किया जाएगा।

आठवें: राष्ट्रपति, इन संविधियों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने में सक्षम हैं।

<u>पुलिस पदक:</u>

प्रथमत: यह पुरस्कार पदक के रूप में होगा और इसका आकार और नाम पुलिस पदक होगा (इसमें इसके बाद इसका उल्लेख पदक के रूप में होगा)।

*दूसरे: यह पदक गोलाकार में कांसे का बना होगा, व्यास एक सही तीन बटे आठ इंच होगा और केन्द्र में अग्रभाग पर राष्ट्रीय संप्रतीक उत्कीर्ण होगा तथा उसके नीचे "सत्यमेव जयते" शब्द अंकित होंगे। ऊपरी किनारे और नीचे वाले किनारे पर क्रमश: "पुलिस पदक" और "Police Medal" शब्द होंगे।

हिन्दी और अंग्रेजी में अंकित शब्दों को दोनों ओर एक छोटे तारे से पृथक किया जाएगा। इसके दूसरी तरफ ऊपरी और नीचे की ओर क्रमश: "भारत पुलिस" और "Indian Police" अंकित किए जाएंगे। अंकित किए गए इन शब्दों को दो समानांतर सीधी रेखाओं से पृथक किया जाएगा। जिनमें "वीरता के लिए" और "For Gallantry" या "सराहनीय सेवा के लिए" और "For Meritorious Service" शब्द उत्कीर्ण किए जाएंगे। इन रेखाओं के दोनों ओर अर्ध-वृत्ताकार फूलों की माला होगी। रिम पर उस व्यक्ति का नाम खुदा होगा जिसे पदक प्रदान किया गया है।

तीसरे: यह पदक भारत के भू-भाग के अंदर मान्यता प्राप्त पुलिस बल या केन्द्रीय पुलिस सुरक्षा संगठन के केवल उन सदस्यों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने उत्कृष्ट सहरानीय सेवा और बहादुरी का प्रदर्शन किया हो।

चौथे: जिन्हें यह पदक प्रदान किया जाएगा उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे और गृह मंत्रालय में ऐसे नामों का एक रजिस्टर ऐसे व्यक्ति द्वारा रखा जाएगा जिसे राष्ट्रपति निदेश दें।

पांचवें: प्रत्येक पदक बाएं अग्रभाग से प्रलंबित होगा और चौड़ाई में एक सही तीन बटे आठ की पट्टी होगी तथा इसका रंग गहरा नीला होगा और जिसके दोनों तरफ पतली चांदी की पट्टी होगी, मध्य में एक आरोही पट्टी होगी। उत्कृष्ट बहादुरी के कृत्यों के पुरस्कार के लिए पट्टी के प्रत्येक नीले भाग में मध्य तक चांदी की एक रेखा होगी।

छठे: कोई विशिष्ट कृत्य या बहादुरी का कृत्य जिसे पुलिस पदक का पुरस्कार देकर मान्यता दिए जाने के योग्य पाया गया हो लेकिन जिसके लिए अलंकरण उस व्यक्ति को पहले ही प्रदान कर दिया गया है जिसने यह कृत्य किया है तो उसे उस पट्टी के साथ एक बार जोड़ कर रिकार्ड किया जा सकता है जिसके साथ पदक प्रलंवित है। ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त कृत्य के लिए एक अतिरिक्त बार जोड़ी जाएगी और प्रदान किए गए प्रत्येक बार के लिए एक छोटा चांदी का गुलाब पट्टी में जोड़ा जाएगा जब इसे अकेला पहना जाय।

सातवें: राष्ट्रपति, उक्त अलंकरण के संबंध में किसी व्यक्ति को दिए गए पुरस्कार को रद्द करने और विलोपन करने के लिए सक्षम हैं और ऐसा करने पर उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तथापि, राष्ट्रपति, जब्त किए गए ऐसे अलंकण को बहाल करने के लिए सक्षम हैं। जिस व्यक्ति को यह अलंकरण प्रदान किया गया है वह इसे प्राप्त करने से पहले इस आशय के करार पर हस्ताक्षर करेगा कि यदि उसका नाम हटा दिया जाता है तो वह पदक वापस कर देगा। प्रत्येक मामले में पदक रद्द करने या बहाल करने का नोटिस भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

आठवें: राष्ट्रपति, इन संविधियों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने में सक्षम हैं।

ह0/-
(शेवाक्स ए. लाल)
सचिव

* इसे दिनांक 20 जुलाई, 1998 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं.88-प्रेज./98 से प्रतिस्थापित किया गया है।

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च, 1951

यं.4-प्रेज.- राष्ट्रपति का पुलिस पदक और पुलिस पदक प्रदन करने संबंधी संविधियों की 'आठवीं' संविधि के अनुसार उन्हें शासित करने वाले निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं।

राष्ट्रपति का पुलिस पदक

1. उत्कृष्ट बहादुरी के आधार पर पुरस्कर की सिफारिशें यथा संभव उस अवसर के बाद की जाएंगी जब उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन किया गया हो और विशेष परिस्थितियों में अन्य आधारों पर पुरस्कार की सिफारिशें, तत्काल पुरस्कार के लिए किसी भी समय की जा सकती है।

2. सभी सिफारिशों में संस्तुत व्यक्ति का नाम और रैंक जिस पुलिस बल या केन्द्रीय पुलिस यूनिट/सुरक्षा संगठन का वह सदस्य है या था उसका नाम और जो पदक मंजूर करने की सिफारिश की गई है उसके लिए बहादुरी के कृत्यों का विवरण दिया जाएगा।

3. किसी एक वर्ष में विशिष्ट सेवा के लिए पदक दिए जाने वाले पदकों की संख्या 140 से अनधिक होगी* किसी एक वर्ष में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।

4. ये पदक निम्नलिखित के लिए प्रदान किए जाएंगे:

(i) जीवन और संपत्ति बचाने या अपराध रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में प्रदर्शित उत्कृष्ट बहादुरी, संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों का उचित अनुमान लगाते हुए उसमें शामिल जोखिम।

(ii) पुलिस सेवा में या केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों में विशेष विशिष्ट रिकार्ड।

(iii) पुलिस सेवा या केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों की यूनिटें गठित करने या विशेष कठिनाइयों में अपने संगठनों को एकजुट रखने में सफलता।

(iv) गंभीर या व्यापक रूप में फैले अपराध या जन अशांति से निपटने में विशेष सेवा।

*इसे दिनांक 28 जुलाई, 2006 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं.81-प्रेज/2006 से प्रतिस्थापित किया गया है।

(v) दीर्घकालीन सेवा लेकिन जिसकी पहचान केवल आपवादिक क्षमता और योग्यता से ही की जाती हो।

5. जब बहादुरी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाए तो पदक के साथ नीचे दी गई दरों और शर्तों के अध्यधीन मौद्रिक भत्ता दिया जाएगा। इसके प्रभार उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व विभागों द्वारा वहन किए जाएंगे जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को पुरस्कार मिलते हैं और अधिकारियों के संबंध में उन केन्द्रीय पुलिस/संगठनों द्वारा वहन किए जाएंगे जिन संगठनों से इनका संबंध है।

(क) जहां किसी अधिकारी को, जिसे राज्य का पुलिस और अग्नि शमन सेवा पदक या बहादुरी के लिए वह पदक और एक बार या उसके बार पहले ही प्रदान किया गया है, बहादुरी के और कृत्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है तो उसे मूल भत्ते के साथ बाद वाले पदक के साथ जुड़े मौद्रिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा न कि स्वयं पदक के साथ जुड़े पूरे भत्ते। जहां किसी अधिकारी को जिसे बहादुरी के लिए भारतीय पुलिस पदक पहले ही प्रदान किया गया हो, बाद में बहादुरी के और कृत्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है तो उसे मूल भत्ते के साथ बाद वाले पदक के साथ जुड़े पूरे भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(ख) भत्ता, उस कृत्य की तारीख से मंजूर किया जाएगा जिसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है और यदि इसे कदाचार के लिए जब्त न किया गया हो तो यह मृत्युपर्यंत जारी रहेगा।

(ग) यदि प्राप्तकर्ता अपनी मृत्यु के समय भत्ता प्राप्त कर रहा हो तो यह उसके जीवनभर जारी रहेगा या मरणोपरांत पदक या बार प्रदान दिए जाने के मामले में उनकी विधवा का पुनर्विवाह होने तक (पहली विवाहित पत्नी को वरीयता दी जाएगी), भत्ता कृत्य की उस तारीख से दिया जाएगा जिसके लिए पदक प्रदन किया गया है, विधवा को जीवन प्रर्यन्त (पहली विवाहित पत्नी को वरीयता दी जाएगी) या पुनर्विवाह तक दिया जाएगा।

(घ) जब किसी अविवाहित व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो मौद्रिक भत्ता, उसके पिता जी या माता जी को दिया जाएगा और यदि मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता विधुर है तो भत्ते का भुगतान उसके 18 वर्ष से कम आयु के पुत्रों या अविवाहित पुत्री को जैसा भी मामला हो, दिया जाएगा।

(ङ) बहादुरी के लिए सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता, समान दर पर मौद्रिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे चाहे उनका रैंक कुछ भी क्यों न हो। पदक के साथ-साथ पदक के बार** के लिए मौद्रिक भत्ते* की दर समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी है।

* इसे दिनांक 18.8.1998 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं. 101-प्रेज/98 के तहत 1.8.1997 से 200/-रुपए मासिक पुनः निर्धारित किया गया है और गृह मंत्रालय के दिनांक 6.12.1999 के का.ज्ञा.सं. 11026/10/98-पीएमए के तहत 6.12.1999 से बढ़ा कर 750/-रुपए कर दिया गया है।

** इसे दिनांक 18.8.98 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना से 101-प्रेज/98 से प्रतिस्थापित किया गया है।

6. यदि पदक धारक, निष्ठाहीन का दोषी हो, कार्रवाई करने में डरपोक हो या ऐसे आचरण करता हो, जो राष्ट्रपति की दृष्टि में बल की बदनामी का कारण बनता हो तो पदक जब्त कर दिया जाएगा।

7. "26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)" और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) को विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कारों की घोषणा संबंधी संस्तुतियां इस तरह भेजी जानी चाहिएं कि वे सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पास हर वर्ष क्रमश: 26 अक्तूबर और 15 मई तक अवश्य पहुंच जाएं।

<u>पुलिस पदक</u>

1. उत्कृष्ट बहादुरी के आधार पर पुरस्कर की सिफारिशे यथा संभव उस अवसर के बाद की जाएंगी जब उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन किया गया हो और विशेष परिस्थितियों में अन्य आधारों पर पुरस्कार की सिफारिशें, तत्काल पुरस्कार के लिए किसी भी समय की जा सकती है।

2. प्रत्येक सिफारिश में संस्तुत व्यक्ति का नाम और रैंक, जिस पुलिस बल या केन्द्रीय पुलिस यूनिट/सुरक्षा संगठन का वह सदस्य है या था उसका नाम और जो पदक मंजूर करने की सिफारिश की गई है उसकी कार्रवाई या सेवा का विवरण दिया जाएगा।

3. किसी एक वर्ष में विशिष्ट सेवा के लिए पदक दिए जाने वाले पदकों की संख्या 1035** से अनधिक होगी किसी एक वर्ष में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।

4. ये पदक निम्नलिखित के लिए प्रदान किए जाएंगे:

(i) उत्कृष्ठ बहादुरी के लिए जैसे ही पुरस्कार मंजूर किए जाते हैं वैसे ही यथा संभव शीघ्र इन्हें प्रदान किया जाएगा।

(ii) दीर्घकालीन सेवा या क्षमता और योग्यता सहित संसाधन और कर्तव्यनिष्ठा वाले गुणों की बहुमूल्य सेवाओं के लिए।

5. (क) जब बहादुरी के लिए पुरस्कार प्रदन किया जाए तो पदक के साथ-साथ पदक से जुड़ा बार, बहादुरी के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक के लिए निर्धारित की गई शर्तों के अध्यधीन समान दर पर मौद्रिक भत्ता# दिया जाएगा जिसे समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा चाहे प्राप्तकर्ता का रैंक कुछ भी क्यों न हो।## इसके प्रभार उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को पुरस्कार मिलते हैं और संबंधित केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों द्वारा वहन किए जाएंगे जिन संगठनों से इनका संबंध है।

** इसे दिनांक 17.12.1990 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं. 99-प्रेज/90 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसे 1951 में 175 पर निर्धारित किया गया था और इसके बाद 1963,1966,1971,1979,1984,1988,1990 और 2001 में क्रमश: 200,275,400,475,500,650,740 और 860 पर पुन: निर्धारित किया गया था। इसे दिनांक 28 जुलाई, 2006 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं. 81-प्रेज/2006 के तहत संशोधित कर दिनांक 28 जुलाई 2006 से प्रभावी बनाया गया। इसे पुन: निर्धारित कर 1035 किया गया।

(ख) जहां किसी अधिकारी को, जिसे बहादुरी के लिए भारतीय पुलिस पदक या वह पदक और एक बार या उसके लिए बार पहले ही प्रदान किये गये हैं, बहादुरी के और कृत्य के लिए पुलिस पदक पद्रान किया जाता है तो उसे मूल भत्ते के साथ बाद वाले पदक के साथ जुड़े मौद्रिक भत्ते का भुगातन किया जाएगा न कि स्वयं पदक के साथ जुड़े पूरे भत्ते। जहां किसी अधिकारी को, जिसे बहादुरी के लिए राज्य का पुलिस पदक और अग्निशमन सेवा पदक पहले ही प्रदान किया गया हो, बाद में बहादरी के और कृत्य के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जाता है तो उसे मूल भत्ते के साथ बाद वाले पदक के साथ जुड़े पूरे भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

6. बहादुरी के लिए पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक/राष्ट्रपति के पुलिस पदक के तुरंत बाद पहना जाएगा।

7. पदक प्रदान किया जाना, राष्ट्रपति के पुलिस पदक के पश्चवर्ती पुरस्कार का बार नहीं होगा।

8. यदि पदक धारक निष्ठाहीन होने का दोषी हो, कार्रवाई करने में डरपोक या ऐसे आचरण करता हो जो राष्ट्रपति की दृष्टि में बल की बदनामी का कारण बनता हो तो पदक जब्त कर दिया जाएगा।

9. "26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)" और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) को सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कारों की घोषणा संबंधी संस्तुतियां इस तरह भेजी जानी चाहिएं कि वे सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पास हर वर्ष क्रमश: 26 अक्तूबर और 15 मई तक अवश्य पहुंच जाएं।

ह0/-
(शेवाक्स ए. लाल)
सचिव

दिनांक 18.8.1998 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं. 101-प्रेज/98 के तहत दिनांक 1.8.1997 से प्रभावी कर 120/-रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया और गृह मंत्रालय के दिनांक 6.12.1999 से प्रभावी कर इसे बढ़ा कर 450/-रुपए किया गया।

इसे दिनांक 18.8.98 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूयचना सं. 101-पर्स/98 से प्रतिस्थापित किया गया है।